

| तारीख<br>हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|----------------|------------------------------------|
|----------------|------------------------------------|

20/07/2001 को खरीदा था। तब से वह वही काबिज कारत है।  
settlement के बाद उनका खसरा परिवर्तन कर जमाबंदी 2004-24 में खसरा 8 खाता संख्या 147 दर्ज कर दिया गया जो गलत है।

अब: वादी चाहते हैं कि खाता संख्या 147/146 के बजाय पुनः खाता संख्या 44 एवं खसरा 8 के बजाय खसरा नं. 5 रकबा 0.81 है, कब्जे कारत के आधार पर इन्फ्रान्त उत्तरी की नए प्रति 1 & 2 में की चयापिचि बनाए रखें।

वादी द्वारा जमाबंदी नकल व मिलान क्षेत्रफल की नकल पैरा की गई जिससे यह शकित होता है कि खसरा न. 5 मिन 5 बीघा से नए खसरा न. 8 0.81 hectare बना है।

TDR की रिपोर्ट व जवाब से यह स्पष्ट होता है कि खसरा न. 5 वर्तमान में गैर मुमकिन पंजर दर्ज है।

व वादी वर्तमान में खसरा न. 125 व 119 के 15982 वर्ग मीटर

| तारीख<br>हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुकम की तामील<br>में जारी हुए |
|---------------|---|---|
|               | <p>पर काबिज है।</p> <p>व. न. 125 खसरा 1.30 के प्रतिवादी का<br/>के नाम है।</p> <p>वादी का यह अनुलोच कि वादी<br/>का खसरा 8 व खसरा 147<br/>पुनः खसरा 5 मिन खसरा 44 कर<br/>दिया जाए मुमकिन नही है<br/>चूंकि settlement के बाद नए<br/>खसरा न. बनते ही है।</p> <p>वादी द्वारा यह कही नही दियाया<br/>गया है कि पूर्व खसरा न. 5<br/>मिन की जगह खसरा न. 8<br/>नही बनना चाहिए था।<br/>कोई ऐसा दस्तावेज वादी द्वारा<br/>पेश नही किया गया है।</p> <p>मात्र कदमों के आधार पर<br/>वादी के अनुलोच की पूरा<br/>नही किया जा सकता नही<br/>वादी का खसरा settlement<br/>के पूर्व पूरा किया जा सकता है<br/>चूंकि settlement के बाद<br/>हर जगह नए खसरा न. अंकित<br/>हए है।</p> <p>प्रतिवादी का counter claim<br/>निर्णय 08 R6 CPC में पहल है।</p> |   |

| <p>तारीख<br/>हुकम</p> | <p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>  | <p>नम्बर व तारीख<br/>अहकाम जो इस<br/>हुकम की तामील<br/>में जारी हुए</p> |
|-----------------------|---|---|
|                       | <p>खारिज कर दिया गया था।<br/>           अतः वारी का बाद स्वीकार<br/>           योग्य नहीं है, अतः निरस्त<br/>           किया जाता है।<br/>           निर्णय आज दिनांक 08/5/26 को<br/>           सुनाया गया।<br/>           फ़ावली प्रसल शुमार होकर<br/>           दायित्व दफ़्तर है।</p> <p style="text-align: right;"> <u>Che</u><br/> <b>सप्लाइ अधिकारी</b><br/> <b>08/5/26</b><br/> <b>समगजमंडी</b> </p> |   |